अधीक्षण अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल, सीतामढी।

पत्रांकः– 779 ..../सीतामढी/ दिनांकः– 06-09-2024

प्रेषक,

ई0 दीपनारायण प्रसाद
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, सीतामढी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, पुपरी।

विषय शीर्ष **MMGSY** योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन **Md Hasmat House to PWD Road Bajpatti to Kumma (Tender ID- 132291)** का निर्माण कार्य के निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्य बिहार लोक निर्माण संहिता के कण्डिका–163 के आलोक में इस कार्य में न्यूनतम दर निविदाकार संवेदक **Sudhir Yadav** (बीड आई0डी0–570418) को उद्धृत दर, जो कि परिमाण विपत्र की दर से (–) 16.01 (सोलह दशमलव शून्य एक) प्रतिशत कम पर, अर्थात् कुल राशि 18,07,485.00 (अठारह लाख सात हजार चार सौ पचासी रूपये) मात्र की लागत पर कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित एन0एस0सी0/**Fixed Deposit/BG** आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर/बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पुपरी कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रधन की राशि के सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगें कि निविदाकार **डिबार/सूची/काली सूची** या कार्य लंबित सूची में शामिल न हों।
6. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वंय कर लेगें एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वंयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें। पथ का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर परक्रमित दर, **Bid Capacity** आदि का मिलान कर ही कार्य आवंटन आदेश निर्गत करेंगे। कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटन/**LOA** निर्गत करने से पूर्व मिलान कर लेंगे कि परिमाण विपत्र की राशि प्रशासनिक अनुमोदन की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्दर है। यदि अनुज्ञेय सीमा से अधिक हो तो एकरारनाम के पूर्व पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अंदर पूरा की जायेगी।

Sudhir yadav

Executive Engineer
RWD, Works Division, P...
6/07/2025

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScan